न्यायालय : अपर सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारीः यशवंत भारद्वाज, (UID NO.RJ00 564)

दांडिक विविध (अन्तरिम जमानत) प्रार्थना पत्र संख्याः 208/2026
CNR NO. RJDS010008692026

बहादुर पुत्र कैलाश उम्र–24 वर्ष निवासी मीनापाडा थाना सिकन्दरा जिला–दौसा (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक, दौसा। .... अप्रार्थी

दांडिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र बाबत अंतरिम जमानत

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2024, पुलिस थाना कोतवाली दौसा, जिला दौसा से सम्बन्धित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के समक्ष लम्बित नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 862/2026, राज्य बनाम विष्णु कुमार वगैरह, अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 66C, 66D आई.टी. एक्ट।

उपस्थितः
1. श्री साँवलराम मीना – विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री आशीष शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक: 10.08.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त बहादुर की ओर से यह अन्तरिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 श्रीमान सैशन न्यायाधीश महोदय, दौसा के समक्ष जरिए अधिवक्ता पेश हुआ, जो बाद अन्तरण सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जमानत आवेदन से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय से सम्बंधित पत्रावली तलब की गई।

2. प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अंकित है कि अन्तरिम जमानत का यह पहला आवेदन है, अन्य कोई अन्तरिम जमानत आवेदन अन्य किसी न्यायालय अथवा राज. उच्च न्यायालय में अन्य कोई जमानत का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही लम्बित है।

3. इस बाबत कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

4. बहस अन्तरिम जमानत आवेदन सुनी गई, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. हस्तगत प्रकरण से संबंधित सुसंगत तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 29.01.2024 को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दौसा परिवादी डॉ० आर. सी. मीना द्वारा एक रिपोर्ट जरिए पत्र क्रमांक सामान्य 2024–570 के जरिए परिवादी बाबूलाल इस आशय की दर्ज करवायी कि दौसा जिले में सूची अनुसार चिकित्सक एवं रेडियोग्राफर द्वारा कुल 2453 सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों के सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी किये गये थे, जिसमें प्रधानाचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा गठित कमेटी में डॉ. सी.पी. सावरकर, डॉ. मुकेश मित्तल एवं डॉ. सुनील

जाखडा द्वारा पत्र क्रमांक एमसी./आर.डी/2023/1356 दिनांक 20.11.2023 के द्वारा पाया गया कि सिलिकोसिस प्रमाण पत्र में भारी अनियमितता प्राप्त हुई। जैसे जिन मरीजों के सिलिकोसिस बीमारी नहीं होने के पश्चात भी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी किया जाना एवं जो मरीज सिलिकोसिस से पीडित थे, उनके प्रमाण पत्रों को रिजेक्ट किया जाना एवं रेडियोग्राफर द्वारा अपलोड किये गये एक्सरे में भी अनियमितता गठित कमेटी को प्राप्त हुई। आयुक्त एवं संयुक शासन सचिव विशेष योग्यजन विभाग द्वारा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 413 प्रकरणों में ऑटो अनुवल प्रक्रिया के माध्यम से राशि रूपये 12.43 करोड़ रूपये का गलत भुगतान होना पाया गया। सभी कार्मिकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश प्राप्त होने हुये, जिनके नाम निम्न प्रकार है :– डॉ. देवनारायण शर्मा, प्रमुख विशेष मेडिसिन, जिला चिकित्सालय दौसा, डॉ. घनश्याम मीना, रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय दौसा, डॉ. वत्तीलाल मीना, वरिष्ठ विशेषज्ञ, चेस्ट एवं टीबी जिला चिकित्सालय दौसा, डॉ. मनोज कुमार उँचवाल कनिष्ठ विशेषज्ञ चेस्ट एवं टीबी, जिला चिकित्सालय दौसा, डॉ. प्रेम कुमार मीना कनिष्ठ विशेषज्ञ, मेडिसिन जिला चिकित्सालय महवा दौसा, डॉ. दिनेश एसएस मेडिसिन, जिला चिकित्सालय महवा दौसा, डॉ. प्रहलाद कुमार दायमा कनिष्ठ विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीकर, डॉ. मुकेश कुमार सिरोवा जेटीओ एपीओ निवेशालय जयपुर, डॉ. बाबूलाल दूरी मेडिकल ऑफिसर निदेशालय जयपुर, डॉ. मानप्रकाश शर्मा मेडिकल ऑफिसर उपजिला चिकित्सालय चौमू, डॉ. विजय प्रकाश माहेश्वरी, रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय भीलवाडा, शंकरलाल मी वरिष्ठ रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय दौसा, रामराज मीना वरिष्ठ रेडियोग्राफर जिला चिकित्सालय दौसा, मनोहरलाल यादव, वरिष्ठ रेडियोग्राफर जिला चिकित्सालय दौसा, कौशल जोशी रेडियोग्रापार जिला चिकित्सालय दौसा, संदीप शर्मा रेडियोग्राफर जिला चिकित्सालय दौसा, केतन गुर्जर रेडियोग्राफर जिला चिकित्सालय दौसा, जयप्रकाश असिस्टेंट रेडियोग्राफर सीएचसी सुजानगढ़ झुंझनू पिंकी धाकड रेडियोग्राफर जिला चिकित्सालय करौली, रिंकू यादव असिस्टेंड रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय, भिवाडी, संगीता सुखलाल, रेडियोग्राफर, जिला अस्पताल नाथद्वारा, शरद कुमार यादव, रेडियोग्राफर सी.एच.सी. तिजारा–खैरथल....आदि।

6. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2024, अपराध धारा 420, 409, 467, 406, 468, 471, 120 बी. भारतीय दण्ड़ संहिता एवं धारा 66 सी. व 66 डी. आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। बाद अनुसँधान प्रकरण में दिनांक 23.01.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्त विष्णु के विरूद्ध धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 66C, 66D आई.टी. एक्ट में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम अन्तरिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. दिनांक 05.08.2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रश्नगत अंतरम जमानत आवेदन पेश किया गया है।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के यह तर्क हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है एवं वह काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। आगे उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के पिता की मृत्यु दिनांक 03.08.2026 को हो गई है, जिसमें अन्तेष्ठि, तीये की बैठक सहित कई धार्मिक प्रथाओं के अनुसार एक पुत्र का अपने पिता का हिन्दु अनुष्ठानों के अनुसार कई औपचारिकताएं करती पडती है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए 3 दिन तक पीपल के पेड के नीचे पिन्ड दान का कार्यक्रम करना होगा जो दिनांक 11.08.2026 से प्रारंम्भ होगा व 13.08.2026 को हरिकिर्तन व सत्संग का कार्यक्रम होगा व दिनांक 14.08.2026 को ब्राहमण भोज व पगडी रस्म का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के मांथे पगडी रस्म करानी होगी तथा 15 वे दिन पन्दवाडी होगी, जिसमें मृतक के भोग लगाकर कन्याओं को भोजन खिलाने के बाद पूरी ओपचारिकताएं पूरी हो जावेगी।

8. इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को 7 दिवस की अंतरिम जमानत दिये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

10. उभय पक्षों के तर्कों तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का देहांत हो चुका है, जिसके कारण प्रार्थी/अभियुक्त का अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए अंतिम अनुष्ठान में शामिल होना आवश्यक है।

11. अतः प्रार्थी/अभियुक्त बहादुर पुत्र कैलाश का अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र एक सप्ताह की अवधि के लिये निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1.– प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.08.2026 को जिला कारागृह, दौसा में समर्पण कर देगा।

2.– प्रार्थी/अभियुक्त एक लाख रूपये का स्वयं का बंध पत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इस आशय की प्रस्तुत करेगा कि दिनांक 17.08.2026 को वह जिला कारागृह, दौसा में समर्पण कर देगा।

3.– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अवधि में प्रकरण में गवाहानों को डरायेगा–धमकायेगा नहीं।

12. प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उक्त शर्तों की पूर्ति करने पर जिला कारागार, दौसा को तहरीर इस आशय जारी हो कि तहरीर प्राप्त होने पर प्रार्थी/अभियुक्त को अविलम्ब रिहा किया जावे, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त पिता की मृत्यु संबंधित अंतिम रीति रीवाजों में भाग ले सकें तथा दिनांक 17.08.2026 को पुनः अभियुक्त बहादुर पुत्र कैलाश को जिला कारागृह दौसा में दाखिल करें।

13. अतः प्रार्थी/अभियुक्त बहादुर पुत्र कैलाश की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

(यशवंत भारद्वाज)
अपर सैशन न्यायाधीश,
दौसा

14. आदेश आज दिनांक 10.08.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशवंत भारद्वाज)
अपर सैशन न्यायाधीश,
दौसा